उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 03 606/सी–5/113/OA no. 896/22/23 दिनांक 05/12/23

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Regrading Action Taken Report in O.A. No. 896/2022 In Re: Laxman Balyogi Versus State of Uttar Pradesh & Ors. order dated 13.09.2023.

Sir,

In compliance to the order dated 13.09.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 896/2022 Laxman Balyogi Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Action Taken Report on behaf of UPPCB is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Arvind Kumar, Advocate for UPPCB.
2. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 13.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

Hon'ble NGT, New Delhi vide its order dated 13.09.2023 In O.A. No-896/2022 in the matter of Laxman Balyogi vs. State of UP, has passed the directions. The relevant excerpt of the order is as below:-

……15. Let a fresh action taken report be filed by the UPPCB within 8 weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF………

Action Taken Report

1. That in compliance to the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 20.02.2023 in O.A. No-896/2022 in the matter of Laxman Balyogi vs. State of UP, a joint committee report along with Action Taken Report on behalf of UPPCB has been submitted by UPPCB on 03.08.2023 vide letter no. H98837/C-5/113/OA no.-896/22/23 before Hon'ble Tribunal.
2. That regarding the non-compliance of the directions issued by this Hon'ble Tribunal and the directives also issued by the UPPCB to the Project Proponent, the UPPCB has imposed the Environmental Compensation of Rs. 17,81,250/- against each project vide letter dated 01.08.2023. A copy of the letters dated 01.08.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-1 &2** to this Action Taken Report.
3. That UPPCB vide letter dated 13.09.2023, 10.10.2023 and 17.11.2023 has been sent to the both Project for depositing the Environmental Compensation regarding to the violation of the Environmental laws. A copy of the letters dated 13.09.2023, 10.10.2023 and 17.11.2023 are being annexed herewith as **Annexure No.-3, 4, 5, 6, 7 and 8** to this Action Taken Report.
4. That UPPCB vide letter dated 20.11.2023 has been requested to the District Magistrate, Lucknow for the recovery of Environmental Compensation as a Land Revenue Rs. 17,81,250/- against the each project. A copy of the letter dated 20.11.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-9** to this Action Taken Report.
5. That it is also inform to Hon'ble Tribunal, the prosecution has been initiated against the both Project in question for violating of the closure order issued by UPPCB on 01.08.2023.

Therefore, the Action Taken Report is being filed by the UPPCB with request to put up before this Hon'ble Tribunal for consideration and necessary action.

Yours' Sincerely

04/12/23

(Dr. U. C. Shukla)
Regional Officer
Lucknow

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H98733 /सी–5/L/जल-444/23 दिनांक 01/08/2023

पंजीकृत

04/08/23

सेवा में,

सेवा में,
मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज,
जनपद–लखनऊ ।

यह कि मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ एक आवासीय परियोजना है, जो उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, गाटा संख्या–88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109ए, एवं 110, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। उक्त परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

यह कि आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। आवासीय परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2671/रिट याचिका–124/2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था। इकाई को बोर्ड के पत्रांक–एच 92498/सी–5/सहमति जल–444/23 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके संबंध में इकाई द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–810/सह0–3300/2023 दिनांक 05.07.2023 द्वारा इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2023 की पुष्टि की जाती है–

"मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 29.03.2023 से दिनांक 12.06.2023 तक (कुल 76 दिन) के लिए रूपये 23437.50/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।"

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

AEE/SA

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

04/08/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

04/08/23

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 98732 /सी–5/L/जल-445/23 दिनांक 01/08/2023

पंजीकृत

9/8/23

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज,
जनपद–लखनऊ ।

यह कि मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ एक आवासीय परियोजना है, जो उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, गाटा संख्या–1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। उक्त परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टेंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

यह कि आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। आवासीय परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2671/रिट याचिका–124/2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था। इकाई को बोर्ड के पत्रांक–एच 92497/सी–5/सहमति जल–445/23 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके संबंध में इकाई द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–812/सह0–3299/2023 दिनांक 05.07.2023 द्वारा इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

675

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2023 की पुष्टि की जाती है–

"मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 29.03.2023 से दिनांक 12.06.2023 तक (कुल 76 दिन) के लिए रूपये 23437.50/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।"

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ। 04/8/2023

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

AEE/SA

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 00671/सी–5/ जल–445/23 दिनांक 13-09-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज, हजरतगं,
जनपद–लखनऊ।

15/9/2023

विषय– इकाई को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 14.08.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 22.08.2023 को प्राप्त है का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से आप द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 01.08.2023 द्वारा जारी बन्दी आदेश/निर्देश को निक्षेपित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड के पत्रांक–एच 98732/सी–5/एल/जल–445/23 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, गाटा संख्या–1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाग इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसको आप द्वारा अभी तक जमा नही कराया गया है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाग इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में तत्काल जमा करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः 1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

AE(B)/SA

15/09/23

SA (H)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H02679/सी–5/जल–444/23 दिनांक 13-09-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज, हजरतगं,
जनपद–लखनऊ।

15/9/2023

विषय– इकाई को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 14.08.2023, जो इस कार्यालय में दिनांक 22.08.2023 को प्राप्त है का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से आप द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 01.08.2023 द्वारा जारी बन्दी आदेश/निर्देश को निक्षेपित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड के पत्रांक–एच 98733/सी–5/एल/जल–444/23 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, गाटा संख्या–88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109ए, एवं 110, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाग इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसको आप द्वारा अभी तक जमा नही कराया गया है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाग इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में तत्काल जमा करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

AEE/CA
m.a.pl.

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

15/09/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Annexure-5

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 1579/ स्था0-3299/2023 दिनांक : 10.10.2023

सेवा में,

पंजीकृत डाक

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट न0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज, हजरतगंज,
लखनऊ।

विषयः–आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 98734/सी–5/एल/जल–445/2023 दिनांक 01/08/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से उक्त आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 29/03/2023 से दिनांक 12/06/2023 तक (कुल 76) रू0 23437.50/–प्रतिदिन की दर से कुल रू0 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, परन्तु आप द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को अभी तक राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के **खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी इकाई के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

भवदीय,

10/10/23

(डॉ0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

10/10/2023
PA

Acc V

Annexure-6

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 1578/क्षे0-3300/2023 दिनांक : 10.10.2023

सेवा में, **पंजीकृत डाक**

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट न0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज, हजरतगंज,
लखनऊ।

विषयः–आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 98733/सी–5/एल/जल–444/2023 दिनांक 01/08/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से उक्त आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 29/03/2023 से दिनांक 12/06/2023 तक (कुल 76) रू0 23437.50/–प्रतिदिन की दर से कुल रू0 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, परन्तु आप द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को अभी तक राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के **खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी इकाई के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

भवदीय,

10/10/23

(डॉ0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

10/10/2023
PA

Ace V

Annexure-7

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 1799/ सह0- 3299/2023 दिनांक : 17.11.23

अनुस्मारक– I / पंजीकृत डाक

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट न0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज, हजरतगंज,
लखनऊ।

विषयः–आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 98734 / सी–5 / एल / जल–445 / 2023 दिनांक 01 / 08 / 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 29 / 03 / 2023 से दिनांक 12 / 06 / 2023 तक (कुल 76 दिन) रू0 23437.50 / –प्रतिदिन की दर से कुल रू0 17,81,250 / – (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–1579 / सहमति–3299 / 2023 दिनांक 10 / 10 / 2023 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु आप द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अभी तक राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही किया गया है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को राज्य बोर्ड के **खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही जिला प्रशासन के माध्यम से किये जाने हेतु संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

भवदीय,

17.11.23

(डॉ0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-8

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 1800/ सह0-3300/23 दिनांक : 17.11.23

सेवा में, **अनुस्मारक– I / पंजीकृत डाक**

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट न0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज, हजरतगंज,
लखनऊ।

विषयः–आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 98733/सी–5/एल/जल–444/2023 दिनांक 01/08/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 29/03/2023 से दिनांक 12/06/2023 तक (कुल 76 दिन) रू0 23437.50/–प्रतिदिन की दर से कुल रू0 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–1578/सहमति–3300/2023 दिनांक 10/10/2023 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु आप द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अभी तक राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के **खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही जिला प्रशासन के माध्यम से किये जाने हेतु संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

भवदीय,
17/11/23
(डॉ0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H03050 /सी–5 / सामान्य – 588/23 *Dated* 20-11-23

20/11/23

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ।
मो0 नं0– 9415005000

विषयः <u>जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योगों (सूची संलग्न–30 उद्योग/संस्था) के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न–30 उद्योग/संस्था), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरूद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही कराते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ मो0 न0 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

EE/SA

20/11/23

20/11/23

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

20	Mahaprabandhak, Gomti Pollution Control Unit, River Bank Colony, Jal Nigam, Lucknow(345 MLD, Bhrwara Malhaur)	H 73226/C-5/L/जल–248/22	04.04.2022	3562500.00
21	Nagar Ayukta, Nagar Nigam, Lucknow (Gomti Pollution),	G 39097/C-5/सामान्य–46/2022	19.09.2022	188000000.00
22	Cimbarli Club (Chacler Club) Pvt. Ltd. K-1, ashiyana Lucknow	H 81239/C-5/L/जल–375/22	15.09.2022	7510000
23	Everedy Industries Induia Ltd., Mill Road, Aishbagh, Lucknow	H 85489/C-5/L/जल–22/2022	12.012.2022	3270000.00
24	Eco Green Energy Pvt. Ltd., Village Shiveri, Mohan Road, Lucknow	H 87842/C-5/L/MSW–1/2023	27.01.2023	253271000.00
25	Eco Green Energy Pvt. Ltd., Village Shiveri, Mohan Road, Lucknow	H 90293/C-5/MSW–1/2023	04.03.2023	172071000.00
26	Sahara Hospital (Unit of Sahara India Medical Institute), Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow	H 97225/C-5/L/जल–189/23	10.07.2023	1050000.00
27	AK Enfra and Reyality Developers Pvt. Ltd., (Drem Green City Phase-2, Village, Gata no.1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi]-Dhavapur, Sarojne Nagar, Lucknow	H 98732/C-5/L/जल–445/23	01.08.2023	1781250.00
28	AK Enfra and Reyality Developers Pvt. Ltd., (Drem Green City Phase-2, 88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109A, and 110, Village-Dhavapur, Sarojne Nagar, Lucknow	H 98733/C-5/L/जल–444/23	01.08.2023	1781250.00
29	G.S. Infratructure Pvt. Ltd. A;Vinit Khand,Gomti Nagar Lucknow	H 02397/C-5/L/वायु–379/23	27.10.2023	8296875.00
30	Vijay Construction (India) Pvt. Ltd., 407, Forth Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	H 02395/C-5/L/वायु–381/23	27.10.2023	10031250.00

15/11/2023
CEO-5